Sl. No. 6 (R)

(31)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोरिया

क्रमांक / पु0अ0 / कोरिया / स्टेनो / शिका0 / 04 / 2009 दिनांक 20/2.2009

प्रति,

श्री रमेश चन्द्र दुर्गा
निदेशक ,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार ,नई दिल्ली ,

विषयः– आवेदिका श्रीमती मुल्की बाई निवासी चिरमिरी के शिकायत वावत।

संदर्भः– क्रमांक / संख्या / छत्तीसगढ़ / एसटी0 / 07 / 2006 / अत्याचार / आर0यू03 दिनांक 31.12.2008
क्रमांक / संख्या 2 / 1 / 2009 –अत्याचार दिनांक 21.01.2009

––00––

कृपया संदर्भित शिकायत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आवेदिका श्रीमती मुल्की बाई के द्वारा शिकायत किया गया है कि उसे चौकी प्रभारी कोरिया श्री पी0तिवारी ,श्री विशुन एक्का, मयाबो ,तारामणी ,प्रकाश तिवारी एवं रविभूषण महाराज के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।

शिकायत की जॉच तत्का0 नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी से कराई गई । जॉच पर पाया गया कि आवेदिका श्रीमती मुल्की बाई अनपढ़ है, उसको मोहरा बनाते हुए सत्यपूजन मिश्रा ने मनगढ़ंत एवं झूठी शिकायत कराई है। श्रीमती मुल्की बाई ने इस तरह ब्यान जे0एम0एफ0सी0 मनेन्द्रगढ़ (जिला कोरिया) को धारा 164 जाफौ0 के तहत दिया है जिसकी प्रति संलग्न है।

पूरे घटनाक्रम का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका मुल्की बाई का पति जगरनाथ उरांव कोरिया कालरी में लोडर की नौकरी करता था। जिसके पैर में लगातार दर्द रहने के कारण नौकरी करने में असमर्थ हो गया तब जगरनाथ ने अपनें रिश्ते के भतीजे शंकर उरांव को अपने स्थान पर आवेदन देकर नौकरी लगवा दिया क्योंकि मुल्की बाई की कोई संतान नहीं थे । करीब छः वर्ष पूर्व शंकर की मृत्यु हो गई तब शंकर के स्थान पर उसके पुत्र बिशुन उरांव की नौकरी एस.ई.सी.एल. में लग गई ,जब शंकर नौकरी कर रहा था तब उसने जगरनाथ एवं मुल्की बाई की देख–रेख व आर्थिक मदद नहीं किया। जिस कारण मुल्की बाई अपने पति के साथ रघुनाथपुर चली गई इसके दो वर्ष बाद उसके पति जगरनाथ की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद मुल्की बाई अपने भतीजे रामदीन उर्फ चकल के पास गुजर बसर करने लगी रामदीन इसका देख–रेख करता है। वर्ष 2005 में आवेदिका मुल्कीबाई गेल्हापानी चौकी कोरिया अपने भतीजा संतराम के घर गई तब कोरिया निवासी सत्यपूजन मिश्रा जो अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है ने मुल्की बाई को अपने घर बुलाकर कहा कि वह उसके भतीजे रामदीन को कालरी में नौकरी लगवा देगा जिस पर मुल्की बाई सहमत हो गई सत्यपूजन मिश्रा ने कोरे कागजों में प्रार्थिया

Chir

मुल्की बाई का अंगूठा निशान तथा रामदीन का हस्ताक्षर शंकर के नाम कई कागजातों में हस्ताक्षर करा लिया। अनपढ होने व भतीजे रामदीन की नौकरी एस.ई. सी.एल में लग जाने के लोभ में मुल्की बाई व रामदीन ने कोरे कागजों एवं शपथ पत्रों में हस्ताक्षर कराना जे0एम0एफ0सी0 मनेन्द्रगढ़ को दिए अपने–अपने कथन में बताया है।कुछ कागजातों में सत्यपूजन मिश्रा ने इन दोनो के फोटो लेकर लगाया है। मुल्की बाई ने अपने कथन में सत्यपूजन मिश्रा द्वारा दोनों को बिलासपुर लाज में ले जाकर रखना और वहां भी कई कागजातों में इन्हे अंधेरे में रखकर नौकरी लगवाने के नाम से हस्ताक्षर एवं फोंटो प्राप्त करना बताया है। चौकी कोरिया के रिकार्ड ,जरायम रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि शंकर उराव के मृत्यु के बाद बिशुन एक्का की अनुकम्पा नियुक्ति एस.ई.सी.एल. में कराने की एवज् में दलाली एवं ठगी करने के उद्देश्य से शंकर की विधवा श्रीमती मयासी बाई से उसकी सेंट्रल बैंक कोरिया में जमा रकम ढेड लाख रूपये सत्यपूजन मिश्रा ने अपने छोटे भाई विजय मिश्रा ,अजय मिश्रा के साथ मिलकर कपट पूर्वक मयासो बाई के अंगूठा निशान लगवाकर अपने छोटे भाई अजय मिश्रा के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर एक मार्शल जीप क्रय कर लिया मयासे बाई की रिपोर्ट पर कोरिया चौकी में पदस्थ सउनि. पद्मुमन तिवारी ने आरोपी गण सत्यपूजन मिश्रा ,विजय मिश्रा, के विरूद्ध अपराध क्रमांक 34/118 धारा 420,506,34 ता0हि0 के तहत 25/3/2004 को अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा उक्त मार्शल जीप सीजी– 16–4377 को वजह सबूत में जप्तकर दिनांक 25/3/2004 को तीनों आरोपीयों को गिरफतार किया गया एवं ज्यूडिसियल रिमांड पर न्यायालय बैकुन्ठपुर भेजा गया एवं विवेचना पूर्णकर दिनांक 21/5/2004 को चालान न्यायालय पेश किया गया इसी रंजिश के कारण सत्यपूजन मिश्रा ने मुल्की बाई को मोहरा बनाकर मनगंढत एवं वेबुनियाद शिकायत सउनि. पद्मुमन तिवारी एवं अन्य के विरूद्ध किया है।

संलग्नः–
1.मूल पत्र,
2.धारा 164 जाफौ0 के तहत जे0एम0एफ0सी0 मनेंन्द्रगढ़ (जिला कोरिया) के समक्ष दिए गए रामदीन एवं मुल्कीबाई के कथन

पुलिस अधीक्षक
कोरिया

Chir